पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 908/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 24/04/2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की मंगलवार, दिनांक 15 अप्रेल, 2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. उषा दुबे	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.के. मिश्र	–	सदस्य
7.	डॉ. सलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
9.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
10.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
11.	श्री राहुल महाजन	–	सदस्य
12.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव एवं वित्त सचिव तथा स्वामी निखिलानंद जी अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

(अ) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की पूरक सूची मुख्य विषय सूची की एक तिहाई ही पूरक विषय सूची आगामी बैठक के लिए रखी जाय।

(ब) कार्यपरिषद के प्रकरणों की सूचना अलग से पंजी में सूची बद्ध की जाय।

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008, के बिंदु क्रमांक 10 पर जिन चार शिक्षकों के वेतन वृद्धि उल्लेखित है उनके नाम निम्नलिखित है के संशोधन के साथ तथा आपातिक बैठक दिनांक 14.02.2008, 25.02.2008, एवं 03.03.2008 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की गई :-

   1. डॉ. एच.के. पाठक, प्रोफेसर गणित
   2. डॉ. डी.पी. बिसेन, रीडर, भौतिकी
   3. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, व्याख्याता, प्राचीन भारतीय इतिहास
   4. डॉ. मधुलता केरकेट्टा, व्याख्याता, साहित्य एवं भाषा

   तथा डॉ. उषा दुबे, के पत्र क्रमांक 3125/अर्थ/2008 दिनांक 14.02.2008 पत्र जिसमें कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 के पद क्रमांक 9 की बात कार्यपरिषद में न होने की लिखी गई है, पर विचार किया गया। अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया गया कि विधि अध्ययनशाला के छात्रों की उपस्थिति के संदर्भ में यह बात कार्यपरिषद के संज्ञान में लायी गयी थी। श्रीमती दुबे ने सहमति व्यक्त की।

2. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17.03.2008 की कार्यवृत्त पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u> :- अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. नये परिनियम क्रमांक 1(ए) पर विचार किया गया।

निर्णय :– नये परिनियम क्र. 1(ए) अनुमोदित किया गया।

4. परिनियम क्रमांक 28 में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 22.07.2006 में महाविद्यालयीन शिक्षकों की अर्हता में किये गये संशोधन का औपचारिक अनुकूलन पर विचार किया गया।

निर्णय :– समन्वय समिति के निर्णय का औपचारिक अनुकूलन करने का निर्णय लिया गया। यह इस विश्वविद्यालय में परिनियम 28 भाग VI कंडिका 16 (3) के अनुसार यथावत पूर्व से ही प्रभावशील है।

5. डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, के पुर्ननियुक्ति के आवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– पुर्ननियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.3-1/94(PS) Pt. file दिनांक 16.02.2008 द्वारा प्रषित Model Guidelines का अनुकूलन किया गया।

डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र के पुर्ननियुक्ति के आवेदन पर वि.वि. अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार परीक्षण किया जाय।

6. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 06.12.2007 एवं 31.01.2008 के कार्यवृत्त पर विचार किया गया।

निर्णय :– कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया तथा इम्प्रेस्ट की राशि 5000 से बढ़ाकर 10000/– की स्वीकृति दी गई।

7. निम्नलिखित विभागों की इम्प्रेस्ट राशि बढ़ाए जाने पर विचार किया गया।

निर्णय :– ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि 500/– रू. से 6000/– एवं इतिहास अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि 1500 /– से 5000/– रूपये और प्राचीन भारतीय इतिहास की 1500/– से 5000/– रू. बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी गई।

8. ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद के सदस्यों में से एक सदस्य का मनोनित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– ग्रंथालय समिति में डॉ. शलभ कुमार तिवारी, का मनोनयन किया गया।

9. विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में रूपये 4500/– के निश्चित वेतन पर पैथालॉजी लैब में लैब–टैक्नीशियन की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार किया गया ।

निर्णय :– रू. 4500 /– के निश्चित वेतन पर लैब टैक्निशियन की स्व–वित्तीय योजना से नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

10. कदाचारण एवं भ्रष्टाचार आरोप में विश्वविद्यालय की सेवा से पृथक किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः विश्वविद्यालय सेवा में न लिए जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– कदाचारण एवं भ्रष्टाचार आरोप में विश्वविद्यालय की सेवा से पृथक किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः विश्वविद्यालय सेवा में न लिया जाय।

11. पर्यटन एवं होटल प्रबंध संस्थान में स्व–वित्तीय मद से रूपये 8000/– निश्चित मानदेय पर एक पूर्ण कालिक शिक्षक के पद (संविदा) के सृजन पर विचार किया गया।

निर्णय :– रू. 8000/– निश्चित वेतन पर स्ववित्तीय मद से पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान में शिक्षक के एक पद का सृजन किया गया।

12. इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय राम नगर, सुपेला के सम्बद्धता समाप्ति के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– महाविद्यालय के संबंद्धता प्राप्त प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 2008–09 में यथावत प्रवेश प्रतिबंध जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

परिनियम 28 का पालन न करने वाले ऐसे सभी महाविद्यालयों की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में सत्र 2008–09 में भी प्रवेश प्रतिबंध जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

13. श्री जी.के. देशमुख व्याख्याता, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– विधिक सलाह लेकर इनकी सेवाएं समाप्त किये जाने की कार्रवाई की जाय।

14. श्री हरीश पाण्डेय, टंक लिपिक, श्री श्रवण सिंह ठाकुर एवं विष्णु राम वर्मा, निम्न वर्ग लिपिकों के न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये जाने पर पदोन्नति एवं अन्य लाभों को, प्रदान करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– श्री हरीश पाण्डेय, टंक लिपिक, श्री श्रवण सिंह ठाकुर एवं विष्णु राम वर्मा, निम्न वर्ग लिपिकों के प्रकरण पर तत्काल विधिक परीक्षण कराकर न्यायालय में अपील दायर किया जाय।

15. दिनांक 01.11.2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षकों/अधिकारियों /कर्मचारियों को परिनियम 32 के अनुसार पेंशन की पात्रता नहीं होने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 41/2004 अधिसूचना क्रमांक 977–सी–761/वि/नियम/चार/04, दिनांक 27.10.2004 विश्वविद्यालय में प्रभावशील किया गया।

तद्नुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारीयों की पेंशन योजना के परिनियम क्र. 32 के कंडिका 3 में निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाय :–

" Provided that the employees appointed on or after 1-11-2004 will not be the member of Pension scheme of the University as provided in this Statute. However, they will be the member of new contributory Pension scheme as has been made effective vide Govt. of C.G. order No. 31/ C- 2742/ Fin/Rule/Four/2006. dated 01-02-2006".

16. संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के बी.एड्. महाविद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन विचार किया गया।

निर्णय :– बी.एड्. महाविद्यालयों का शुल्क विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 6(29) एवं परिनियम क्र. 27(3)(जे) में दी गई व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि अकादमिक उत्कृष्टता एवं गरिमा बरकरार रखने के लिए हर संभव व्यवस्था किया जाय।

17. डॉ. बी.पी. त्रिपाठी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर के परीक्षा संबंधी कार्य से वंचित किये जाने वाले आदेश निरस्त करने के आवेदन विचार किया गया।

निर्णय :– डॉ. त्रिपाठी, के आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का निर्णय यथावत् रहेगा। आवेदन अमान्य किया गया।

18. HUMAN ISOLATION LAB के लिए वर्ष 2007–08 में विश्वविद्यालय मद से स्वीकृत रूपये 25 लाख का व्यय जैव–विज्ञान अध्ययनशाला द्वारा न किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– विश्वविद्यालय मद से जैविकी अ.शा. के HUMAN ISOLATION LAB के लिए वर्ष 2007–08 आबंटित राशि रू. 25 लाख का प्रावधान निरस्त किया गया।

नव–भारत एवं अन्य दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.04.2008 को जैविकी अध्ययनशाला में किये जा रहे प्रायोग के समाचारों का संज्ञान लिया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि यदि जैविकी अध्ययनशाला को यह LAB स्थापित करना है तो इसके इंचार्ज डॉ. पति, डी.एस.टी. अथवा अन्य केंद्रीय अभिकरणों को प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करें और अनुदान प्राप्त करें।

19 अध्यक्ष, एसोसियेशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग कालेजेस ऑफ छत्तीसगढ के पत्र कौन्सिलिंग के बाद रिक्त बी.एस–सी. नर्सिंग पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में महाविद्यालयों में दिये गए प्रवेश को अनुमोदित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– आवेदन अमान्य किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अतंर्गत प्रवेश प्राप्त क्षात्रों की ही परीक्षा विश्वविद्यालय लेगा।

20. प्राचार्य, आनंद कला एवं वाणिज्य उपाधि महाविद्यालय हिरापुर, रायपुर को अल्पसंख्यक समुदाय का महाविद्यालय होने के कारण परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत नियुक्तियों में छूट दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– परिनियम क्रमांक 28 में ऐसे किसी छूट की व्यवस्था प्रावधानित नहीं है। महाविद्यालय का आवेदन अमान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में सत्र 2008–09 में भी प्रवेश प्रतिबंध यथावत जारी रखा जाय।

पूरक विषयसूची

1. समय–सीमा समाप्ति पश्चात जमा किये गये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराये जाने सम्बंधी विचार किया गया।

निर्णय :– महाविद्यालयों को चेतावनी के साथ सत्र 2007–08 में समय सीमा समाप्ति के पश्चात जमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार किया जाय।

यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2008–09 से निर्धारित समय सीमा में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा न करने वाले महाविद्यालयों के विद्यार्थी इसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र के परीक्षा में सम्मिलित होंगे। समय सीमा के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा नहीं होगी। महाविद्यालय इसका कड़ाई से पालन करेंगे।

2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष, की नियुक्ति पर विचार किया गया।

निर्णय :– डॉ. सुपर्ण सेन गुप्ता, ग्रंथपाल, पुस्तकालय एवं सूचना अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष का कार्य अपने कार्यों के साथ सम्पादित करेंगे।

3. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, के स्थापना की तिथि दिनांक 01.04.2007 से टेलिफोन सुविधा प्रदान करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस टेलिफोन के देयक का भूतलक्षी प्रभाव से एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भुगतान की प्रतिपूर्ति की मांग की है उसके देयक अब तक कहां से भुगतान किये गये हैं। देयकों पर एकेडमिक स्टाफ कालेज के लिये किये गये टेलिफोन प्रमाणित कर, उनका भुगतान उतनी राशि का किया जाय, जितने टेलिफोन एकेडमिक स्टाफ कालेज के कार्यो के लिए किया गया है।

4. विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना पर विचार किया गया।

निर्णय :– प्रस्ताव अमान्य किया गया।

5. जांच प्रतिवेदन (श्री कमरूद्दीन फजली, कनिष्ठ अधीक्षक, निलंबित के प्रकरण) पर विचार किया गया।

निर्णय :– जॉच प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं खोला गया। निर्णय लिया गया कि जॉच प्रतिवेदन पर कुलसचिव, नियमानुसार कार्रवाई करें।

6. विवेकान्द महाविद्यालय मौदहापारा की संबंद्धता समाप्ति के प्रकरण पर विचार किया गया ।

निर्णय :– विवेाकानंद महाविद्यालय मौदहापारा रायपुर की संबंद्धता प्राप्त प्रथम वर्ष की कक्षाओं में सत्र 2008–09 में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय।

7. श्रीमती गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यायल, रायपुर की अस्थायी संबंद्धता निरस्त करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी अनुदान राशि वसूलने के लिये सूचित किया जाय।

8. वर्ष 2007 के कम्प्यूटराईज्ड उपाधि एवं कंटेनर बाक्स मुद्रण के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– कम्प्यूटराईज्ड प्रति डिग्री रूपया 41.75 पैसे मुद्रण एवं प्रति कंटेनर बॉक्स रूपया 11.45 पैसे की दर से आने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के शिक्षकों, जिन्हें शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव न होने के बावजूद, शोध उपाधि समिति द्वारा शोध निर्देशक मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– अध्ययनशालाओं के निम्नलिखित शिक्षक उनके नाम के सम्मुख उनकी नियुक्ति तथा शोध निर्देशक मान्य किये जाने की तिथि अंकित है, उन्हें शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव, न होने कारण अध्यादेश क्रमांक 45 की कंडिका 7 के प्रावधानों के बावजूद, संबंधित शोध उपाधि समितियों द्वारा शोध निर्देशक की दी गई मान्यता निरस्त की जाती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि इन शिक्षकों के शोध निर्देशन में यदि छात्र पंजीकृत है तो उन्हें अन्य मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक के चयन की सुविधा प्रदान की जाती है और यदि मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक न हो तो विभागाध्यक्ष उनके शोध प्रबंध का अग्रेषण करेंगें :–

क्रमांक	नाम	नियुक्ति तिथि	शोध निर्देशक मान्य किये जाने की तिथि
01.	डॉ. आर.के. प्रधान, रीडर	20.09.2003	05.03.2004
02.	डॉ. जवाहर लाल तिवारी, व्याख्याता	20.09.2003	21.10.2003
03.	डॉ. आरती(परगनिहा) चंद्रवंशी, व्याख्याता	20.09.2003	05.03.2004
04.	डॉ. केशव कांत साहू, व्याख्याता	20.09.2003	14.05.2007
05.	डॉ. अशोक प्रधान, व्याख्याता	27.08.2004	18.04.2005

डॉ. टी.के. वैष्णव अध्यादेश क्रमांक 45 की कंडिका 7 की अर्हता पूर्ति नहीं करते शोध उपाधि समिति द्वारा दी गई शोध निर्देशक की मान्यता निरस्त की जाती है।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2008 से शासन द्वारा स्वीकृत 6 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :– सूचना ग्रहण की गई।

11. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2008 एवं 11.04.2008 की कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय :– कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

12. वर्ष 1998 से पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– पूर्ण विवरण तथा होने वाले व्ययभार के साथ प्रकरण आगामी कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

13. शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय में इतिहास विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विशेषज्ञ नामित करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– डॉ. एम.ए. खान, सेवानिवृत प्राध्यापक, इतिहास, का मनोनयन किया गया।

14. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, मेडिकल ऑफिसर, के दिनांक 08.02.2008 के आवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 675 / सा.प्र. / 99 दिनांक 18 मार्च 99 के आदेश द्वारा डॉ. एस.एस. अग्रवाल, मेडिकल आफिसर को दिनांक 06.02.1998 से स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान में परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

15. परीक्षा केन्द्र, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर में द्वितीय पाली दिनांक 31 / 03 / 2008 को डी.सी.ए., द्वितीय सेमेस्टर, विषय – डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (डी.बी.एम.एस.) प्रश्नपत्र कोड क्रमांक 3816 के स्थगित परीक्षा का पैकेट काटे जाने के जांच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– जॉच प्रतिवेदन से यह पाया गया कि डी.सी.ए. द्वितीय सेमेस्टर की इस स्थगित परीक्षा का पैकेट वापस मांगे जाने के बावजूद जानबूझकर विश्वविद्यालय को नहीं सौंपा गया और दिनांक 31.03.2008 स्थगित परीक्षा तिथि को यह पैकेट खोलने के बाद ही वापस किया गया। डॉ. श्रीराम धुप्पड़ महाविद्यालय के अवैधानिक प्राचार्य रहे हैं और विश्वविद्यालय के तमाम सूचनाओं के बावजूद प्राचार्य का कार्यभार देखते रहे इनके स्थान पर प्रबंधन तत्काल वरिष्ठतम प्राध्यापक / उेपप्राचार्य को प्राचार्य का प्रभार दे। डॉ. धुप्पड़ का त्याग पत्र शासी निकाय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है वे महाविद्यालय के नियमित कर्मचारी नहीं है उन्हें वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष की मान्यता नहीं है। यदि महाविद्यालय प्रबंधन निर्देशानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रभार नहीं सौंपता तो दुर्गा महाविद्यालय परीक्षा केंद्र मे पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायें।

द्वितीय पूरक विषयसूची

1. शासकीय महाविद्यालय उतई द्वारा कोरी उत्तर–पुस्तिका को नष्ट करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– उच्चशिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा आयुक्त एवं महामहिम के सचिव, को प्रकरण की सूचना देते हुए संबंधितो के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा की जाय।

2. भौतिकी अध्ययनशाला, में हुए शिक्षकों की चयन समिति की अनुशंसा पर विचार किया गया।

निर्णय :– चयन समिति द्वारा व्याख्याता के लिए ओ.बी.सी. वर्ग से निम्नलिखित पैनल

श्री नंद कुमार चक्रधारी

श्री तंडेश लाल चंद्रा

प्रवीण्यता क्रम 1 में श्री नंद कुमार चक्रधारी के चयन का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

बस्तर परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षित सेट–अप की स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक 909 / अका. / का.प. / 2008 रायपुर, दिनांक : 24 / 04 / 2008

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)